न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31A/2021 G.C.M.S. No. 2021/159 दर्ज दिनांक : 29.06.2021

अपीलार्थिगण:

1. हेमसिंह पुत्र दोलसिंह जी उम्र 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हबताराम पुत्र रूपाजी जाति राजपुरोहित, निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
2. मांगीलाल पुत्र छोगालाल, जाति जैन निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
3. किशोरकुमार पुत्र मांगीलाल जाति जैन निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय भू–अभिलेख सायला, तहसील सायला, जिला जालोर।
5. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा सायला तहसील सायला, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.06.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर सायला राजस्व वाद संख्या 33/2018 बअनवान हबताराम बनाम हेमसिंह वगैरह

उपस्थित–

1. श्री मधुसूदन व्यास, श्री सुदर्शन व्यास, श्री समंदरसिंह, श्री उत्तम कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पारसमल बराड़ा, श्री छतराराम, श्री प्रवीण सोलंकी विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 17.01.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.06.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर सायला राजस्व वाद संख्या 33/2018 बअनवान हबताराम बनाम हेमसिंह वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने हबताराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद मौजा सायला के चक संख्या 1 पटवार हल्का सायला बी तहसील सायला के वर्तमान खसरा संख्या 2272 रकबा 3.28 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि राजस्थान में कोरोना के कारण दिनांक 06.04.2021 से लॉकडाउन अर्थात त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ कर दिया गया था। उसके अनुसार अलग–अलग समयानुसार उसकी अवधि बढ़ाई जाती रही हैं तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर से बाहर आने का बिल्कुल मना कर दिया गया था। अपीलांट 65 साल से अधिक उम्र का वृद्ध व्यक्ति है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या गृह (ग्रुप–7) विभाग क्रमांक प.7(1) गृह–7 2021 दिनांक 23.05.2021 के अनुसार राजस्थान में दिनांक 24.05.2021 सोमवार से प्रातः 5 बजे से दिनांक 08.06.2021 मंगलवार प्रातः 5 बजे तक केवल मात्र कुछ ही कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति थीं एवं न्यायालय पूर्णतः बंद रखने की जनसूचना जारी की गई थी। इस सूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस बात को मानकर चल रहा था कि न्यायालय में कार्यवाही नहीं चल रही हैं। किंतु उपखंड अधिकारी सायला अर्थात सहायक कलेक्टर सायला ने उक्त सारे आदेशों को दरकिनार कर दिया तथा दिनांक 06.04.2021 को लॉकडाउन लगाने का निर्णय करने के बाद दिनांक 07.04.2021 को इस प्रकरण में पेशी लेकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जवाब बंद किया है। दिनांक 12.04.2021 को वादी ने काउन्टर क्लेम का जवाब पेश नहीं किया है। उसे बंद किया है। दिनांक 16.04.2021 को साक्ष्य के शपथपत्र लिये हैं तथा साक्ष्य करवाई गई हैं एवं दिनांक 22.04.2021 को प्रतिवादी साक्ष्य की अनुपस्थिति दर्ज की गई हैं। दिनांक 03.05.2021 को भी प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्ज की गई हैं एवं दिनांक 06.04.2021 को प्रतिवादी अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रतिवादी की साक्ष्य को बंद किया जाकर प्राथमिक डिक्री बाबत बहस सुनकर दिनांक 07.06.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। दिनांक 07.06.2021 को पारित प्राथमिक डिक्री इस विधिक आधार पर निरस्त करने योग्य है, क्योंकि जिस दिनांक को डिक्री पारित की गई हैं उस दिनांक को राजस्थान सरकार के आधिकारिक परिपत्र के अनुसार कार्यालय बंद है। बंद कार्यालय में न्यायिक कार्य किस आधार पर किया गया है। यह विधि के किसी भी प्रावधान के तहत नहीं आता है एवं बंटवारा करना या बंटवारे की प्राथमिक डिक्री किसी भी प्रकार के आवश्यक कार्य में नहीं आती हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.06.2021 विधि व प्राकृतिक सिद्धांतों के विरूद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या गृह (ग्रुप–7) विभाग क्रमांक प.7(1) गृह–7 2021 दिनांक 23.05.2021 के अनुसार राजस्थान में दिनांक 24.05.2021 सोमवार से प्रातः 5 बजे से दिनांक 08.06.2021 मंगलवार प्रातः 5 बजे तक केवल मात्र कुछ ही कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति थीं एवं न्यायालय पूर्णतः बंद रखने की जनसूचना जारी की गई थीं। इस सूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस बात को मानकर चल रहा था कि न्यायालय में कार्यवाही नहीं चल रही हैं। किंतु उपखंड अधिकारी सायला अर्थात सहायक कलक्टर सायला ने उक्त सारे आदेशों को दरकिनार कर दिया तथा दिनांक 06.04.2021 को लॉकडाउन लगाने का निर्णय करने के बाद दिनांक 07.04.2021 को इस प्रकरण में पेशी लेकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जवाब बंद किया है। दिनांक 12.04.2021 को वादी ने काउन्टर क्लेम का जवाब पेश नहीं किया है। उसे बंद किया है। दिनांक 16.04.2021 को साक्ष्य के शपथपत्र लिये हैं तथा साक्ष्य करवाई गई हैं एवं दिनांक 22.04.2021 को प्रतिवादी साक्ष्य की अनुपस्थिति दर्ज की गई हैं। दिनांक 03.05.2021 को भी प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्ज की गई हैं एवं दिनांक 06.04.2021 को प्रतिवादी अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रतिवादी की साक्ष्य को बंद किया जाकर प्राथमिक डिक्री बाबत बहस सुनकर दिनांक 07.06.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। दिनांक 07.06.2021 को पारित प्राथमिक डिक्री इस विधिक आधार पर निरस्त करने योग्य है, क्योंकि जिस दिनांक को डिक्री पारित की गई हैं उस दिनांक को राजस्थान सरकार के आधिकारिक परिपत्र के अनुसार कार्यालय बंद है। बंद कार्यालय में न्यायिक कार्य किस आधार पर किया गया है। यह विधि के किसी भी प्रावधान के तहत नहीं आता है एवं बंटवारा करना या बंटवारे की प्राथमिक डिक्री किसी भी प्रकार के आवश्यक कार्य में नहीं आती हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है।
2. हमनें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग के उक्त परिपत्र का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2021 के पूर्व व पश्चात संपूर्ण राजस्थान में कोरोना महामारी जनित त्रिस्तरीय लॉकडाउन था तथा उक्त अवधि में पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, नागरिक आपूर्ति, अग्निशमन जैसी अत्यावश्यक सेवाएं ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

विशेष शर्तों के साथ अनुमत थीं। अन्य समस्त प्रशासनिक न्यायिक कार्य अनुमत नहीं थें। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय कार्य संपादित करना, प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करना जोकि किसी भी दृष्टि से अनुमत नहीं था, एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करना पूर्णतया विधिविरूद्ध कार्य की श्रेणी में आता है। उक्त अवधि में प्रकरण के पक्षकारान /पैरोकार की न्यायालय में उपस्थिति की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। क्योंकि उक्त अवधि में न्यायिक कार्य निर्वहन कोरोना महामारी जनित त्रिस्तरीय लॉकडाउन के कारण प्रतिबंधित थें। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आक्षेपित कार्य निर्वहन के दौरान अपेक्षित न्यायिकशुचिता एवं न्यायिक मूल्यों का अनुपालन नहीं किया है, तथा हमारे विनम्र मत में ऐसे किसी निर्णय व डिक्री का समर्थन किसी भी दृष्टि से नहीं किया जा सकता।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ विधिनुरूप पुनः निर्णयन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत होगा।

आदेश

अतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2018 बअनवान हबताराम बनाम हेमसिंह वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.06.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आज्ञापक विधिक व प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

17/01/2025

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली